आक्षेपित अधिसूचनाओं को बनाए नहीं रखा जा सकता है।नतीजतन, इन्हें रद्द कर दिया जाता है।

(19) रिट याचिकाओं को लागत के साथ अनुमति दी जाती है।

आर.एन.आर.

न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति निर्मल सिंह से पहले

श्रीमती पुष्पा देवी याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादीगण

सी.डब्ल्यू.पी. 2000 की संख्या 6645

25 मई, 2000

हरियाणा सहायता प्राप्त विद्यालय (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 1971-हरियाणा सरकार द्वारा 23 जुलाई, 1957 को जारी हरियाणा सहायता प्राप्त विद्यालय (सेवा की सुरक्षा) नियम, परिपत्र-निजी सहायता प्राप्त विद्यालय में जे. बी. टी. शिक्षक के रूप में नियुक्ति-उच्च योग्यता के आधार पर उच्च वेतनमान देने का दावा-अस्वीकार- न तो 1971 अधिनियम और न ही 1974 के नियम निजी तौर पर प्रबंधित स्कूलों के शिक्षकों को उच्च योग्यता प्राप्त करने पर उच्च वेतनमान देने का प्रावधान करते हैं - एक अलग/उच्च पद के लिए निर्धारित जेबीटी शिक्षक को उच्च वेतनमान देने का कोई औचित्य या औचित्य नहीं है। – सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में परिपत्रों/निर्देशों पर भरोसा करने के बाद और भर्ती और वेतन नियमों की जांच किए बिना उच्च वेतनमान दे दिया है - इन निर्णयों को कानून का प्रस्ताव देने के रूप में नहीं माना जा सकता है - याचिकाकर्ता लाभ का हकदार नहीं है उच्च वेतनमान की - रिट खारिज।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्चतर ग्रेड प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को अस्वीकार करने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक, हरियाणा द्वारा दिए गए कारणों को न तो मनमाना कहा जा सकता है और न ही बाहरी और न ही यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव किया गया।23 जुलाई, 1957 का परिपत्र तब अस्तित्व में था

जब हरियाणा विधानमंडल ने 1971 का अधिनियम लागू किया था और राज्य सरकार ने 1974 के नियम बनाए थे।यदि विधानमंडल और उसके प्रतिनिधि निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों के उन शिक्षकों को उच्च वेतनमान/ग्रेड का लाभ प्रदान करना चाहते हैं जिनके पास भर्ती के समय पद के लिए निर्धारित योग्यता से अधिक योग्यता थी या जिन्होंने सेवा में शामिल होने के बाद ऐसी योग्यता प्राप्त की थी, तो उन्होंने 23 जुलाई, 1957 के परिपत्र को 1971 के अधिनियम या 1974 के नियमों में शामिल किया होगा।लेकिन, इस मामले का तथ्य यह है कि न तो 1971 अधिनियम और न ही 1974 के नियम निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को केवल इसलिए उच्च वेतनमान देने का प्रावधान करते हैं क्योंकि उनके पास भर्ती के समय उच्च योग्यता थी या उन्होंने ऐसी योग्यता सेवा में शामिल होने के बाद हासिल की थी। इसलिए, याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने के लिए हरियाणा के माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा बताए गए कारण न तो मनमाने हैं और न ही उनके द्वारा पारित आदेश उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप को उचित ठहराने वाले कानून की त्रुटि से दूषित है।

(पैरा 10)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि जे. बी. टी. शिक्षक के पद के अलावा किसी अन्य पद के लिए निर्धारित उच्च वेतनमान में वेतन के भुगतान का निर्देश देकर, न्यायालय संवर्ग की संख्या में वृद्धि नहीं कर सकता है या उच्च पद पर भर्ती को विनियमित करने वाले वैधानिक नियमों में संशोधन नहीं कर सकता है और न ही न्यायालय अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा बनाए गए वेतन नियमों में संशोधन कर सकता है।यह कार्यपालिका के लिए निर्धारित क्षेत्र में अनुचित अतिक्रमण के बराबर होगा।यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत राज्य के राज्यपाल को निहित शक्ति का अनुचित दुरूपयोग भी होगा।

(पैरा 12)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि न तो सुप्रीम कोर्ट और न ही इस कोर्ट ने संबंधित भर्ती नियमों और वेतन नियमों के संदर्भ में उच्च योग्यता प्राप्त करने की तारीख से विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों को उच्च वेतनमान देने से संबंधित मुद्दे की जांच की है।।बल्कि, सभी मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय और यह न्यायालय इस धारणा पर आगे बढ़े कि 23 जुलाई, 1957 के परिपत्र में निहित निर्देश भर्ती नियमों और वेतन नियमों की घोषणा के बाद भी लागू थे।इसलिए, इन निर्णयों को कानून के एक प्रस्ताव के रूप में नहीं माना जा सकता है कि एक शिक्षक द्वारा उच्च योग्यता के अधिग्रहण की तारीख से उच्च वेतनमान के लाभ का दावा किया जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि उसे एक विशेष वेतनमान वाले विशेष पद पर भर्ती किया गया था और एक अलग संवर्ग का हिस्सा बनने वाले अलग पद के लिए उच्च वेतनमान निर्धारित किया गया है।

वी. बी. अग्रवाल, वकील, याचिकाकर्ता की ओर से।

निर्णय

न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी.

(1) यह निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा पारित आदेश दिनांक 3 1999 (अनुलग्नक पी-5) को रद्द करने के लिए एक रिट याचिका है, जिसमें याचिकाकर्ता की उच्च ग्रेड देने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था , पंजाब सरकार के द्वारा जारी किए गए सर्कुलर पत्र संख्या 5058-आरएफ-द्वितीय-57/5600 (अनुलग्नक P-3) के अनुसार ।

(2) मामले का तथ्यात्मक संदर्भ एक संकीर्ण ध्रुपथ में है । बी. ए. (1975) और बी. एड. (1976) की योग्यता प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ता जैन गर्ल्स हाई स्कूल, करनाल (प्रतिवादी संख्या 3) में जे. बी. टी. शिक्षक के रूप में शामिल हुए।1998 में, उन्होंने अनुलग्नक पी-3 में निहित निर्देशों के अनुसार उच्च श्रेणी में वेतन का भुगतान करने के लिए प्रतिवादीगण को एक आदेश जारी करने के लिए 1998 की सिविल रिट याचिका संख्या 13013 दायर की।19 अगस्त, 1998 को एक डिवीजन बेंच द्वारा इस निर्देश के साथ इसका निपटारा किया गया था कि उच्च श्रेणी के अनुदान के लिए उनके द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर चार महीने के भीतर निर्णय लिया जाएगा।न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, प्रतिवादी संख्या 2 ने विवादित आदेश पारित किया।उस क्रम का प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> "मैंने मामले को देखा और पाया कि याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व फरवरी, 1999 के महीने के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी, करनाल के माध्यम से निदेशालय में प्राप्त हुआ था।याचिकाकर्ता 12 नवंबर, 1980 को जे. बी. टी. शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए और 23 जून, 1976 को बी. एड. की योग्यता प्राप्त की।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उसने सेवा में शामिल होने से पहले उच्च योग्यता प्राप्त कर ली थी।याचिकाकर्ता का दावा मुख्य रूप से पंजाब सरकार द्वारा 23 जुलाई, 1957 को जारी पत्र पर आधारित है।इस मामले पर विचार किया गया और यह पाया गया कि पंजाब सरकार द्वारा 23 जुलाई, 1957 को जारी किया गया पत्र सरकार में काम

करने वाले शिक्षकों के संबंध में लागू था। स्कूल और जबकि यह निजी रूप से प्रबंधित सहायता प्राप्त स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए नहीं है।इसके अलावा, निजी रूप से प्रबंधित सहायता प्राप्त स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों की सेवाएं हरियाणा सहायता प्राप्त स्कूल (सेवा की सुरक्षा) नियम, 1974 द्वारा शासित होती हैं।उक्त नियमों के अनुसार, निजी रूप से प्रबंधित सहायता प्राप्त स्कूलों में सेवारत शिक्षकों को उच्च योग्यता प्राप्त करने पर उच्च ग्रेड देने का कोई प्रावधान नहीं है।यह भी उल्लेख किया गया है कि 23 जुलाई, 1957 के पत्र के अनुसार ऊपर उल्लिखित उच्च श्रेणी सरकार को दी जानी थी। स्कूल शिक्षक जिन्होंने सेवा में शामिल होने के बाद उच्च योग्यता प्राप्त की है जबकि याचिकाकर्ता ने सेवा में शामिल होने से पहले अपनी बी. एड. उत्तीर्ण की है।इसलिए याचिकाकर्ता का दावा उचित नहीं है।

इसके अलावा, निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों को उनके संबंधित प्रबंधन द्वारा नियुक्त और सेवा से हटा दिया जाता है और निजी संस्थानों से संबंधित अलग सेवा नियमों यानी हरियाणा सहायता प्राप्त स्कूल (सेवा की सुरक्षा) नियम, 1974 के तहत शासित होते हैं और निजी तौर पर प्रबंधित सहायता प्राप्त स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर नहीं माना जा सकता है जो समय-समय पर संशोधित विभिन्न सेवा नियमों के तहत शासित होते हैं।

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा उल्लिखित **वजीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और ओ. पी. आर्य बनाम हरियाणा राज्य** का संदर्भ वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है।

इसके अलावा निजी रूप से प्रबंधित सहायता प्राप्त स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों को पहले से ही सरकारी स्कूलों में काम करने वाले उनके समकक्षों के समान वेतनमान और महँगाई भत्ते दिए जा रहे हैं ।लेकिन जहां तक उच्च श्रेणी प्रदान करने का संबंध है, वह 23 जुलाई, 1957 के निर्देशों के अनुसार केवल सरकारी कर्मचारियों को ही दिया जा सकता है।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता उच्च योग्यता के कारण उच्च श्रेणी का हकदार नहीं है और इस तरह उसका दावा खारिज कर दिया जाता है।"

(3) श्री वी. बी. अग्रवाल, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील ने कहा कि उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए, विवादित आदेश को अवैध घोषित किया जा सकता है और याचिकाकर्ता को उच्च श्रेणी का लाभ देने के लिए प्रतिवादीगण

को परमादेश की रिट जारी की जा सकती है।अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने सर्वोच्च न्यायालय और हरियाणा राज्य में इस न्यायालय के निर्णयों और अन्य बनाम **राय चंद जैन और अन्य,**[1] **सुश्री गुरमीत कौर बनाम हरियाणा राज्य और अन्य,**[2] **, संतोष कुमारी बनाम हरियाणा राज्य**[3]**, चंपा देवी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**[4]**,** 1984 की सिविल रिट याचिका संख्या 1137 में **सुभाष कुमारी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य** (अनुलग्नक पी-7) में पारित 7 मई, 1996 का आदेश और उच्चतम न्यायालय द्वारा 1998 के पंजाब राज्य की सिविल अपील संख्या 1 और अन्य बनाम नारायण दास और अन्य में पारित 18 अगस्त, 1998 के आदेश पर भरोसा किया है ।

(4) हमने विद्वान वकील की दलीलों पर विचारपूर्वक विचार किया है और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों पर गौर किया है, लेकिन हम उनसे इस बात से सहमत नहीं हैं कि याचिकाकर्ता अपनी प्रार्थना के संदर्भ में राहत पाने का हकदार है।।अतीत में 23 जुलाई, 1957 के परिपत्र में निहित निर्देशों के अनुसार उच्च श्रेणी का लाभ देने के लिए इस न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कई रिट याचिकाएं और अपील दायर की गई हैं।इनमें से कुछ याचिकाओं/अपीलों को खारिज कर दिया गया है जबकि अन्य को अनुमति दी गई है और याचिकाकर्ता-अपीलार्थी के पास उच्च योग्यता के आधार पर उच्च वेतनमान में वेतन के भुगतान के लिए निर्देश दिए गए हैं।हालाँकि, उन निर्णयों को स्वीकार करने से पहले, हम 23 जुलाई, 1957 के परिपत्र और हरियाणा सरकार द्वारा जारी अन्य परिपत्रों के दायरे और दायरे की जांच करना उचित समझते हैं, जो याचिकाकर्ता के दावे का आधार हैं।वही नीचे पढ़ा गया हैः–

"नं. 5068-11/57 5600

से

श्री एस. आर. वर्मा, आईएएस,
सचिव, सरकार, पंजाब, वित्त विभाग।

को

पंजाब में सभी विभागों के प्रमुख और उच्च न्यायालय, प्रभागों के आयुक्त, जिला और सत्र

[1] 1997 (1) न्यायिक रिपोर्ट (एल एंड एस) 1

[2] 1996 (1) आरएसजे 505

[3] 1997 (एल) आरएसजे 419

[4] 1998 (1) आरएसजे 675

न्यायाधीश और उपायुक्त।

दिनांक चंडीगढ़, 23 जुलाई, 1957।

साहब,

मुझे यह बताने का निर्देश दिया गया है कि पिछले कुछ समय से अधीनस्थ सेवाओं के वेतनमान में संशोधन और गैर-राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई विसंगतियों को दूर करने का सवाल सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है।इस मामले की जांच करने के लिए नियुक्त वेतन संशोधन समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि कुछ श्रेणियों के पदों के वेतन के मौजूदा पैमाने को 1 मई, 1957 से संशोधित किया जाना चाहिए, जैसा कि संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

2. आगे यह निर्णय लिया गया है कि आशुलिपिक, भंडार रखवाले, पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, छायाचित्रकार, प्रधान लिपिक और मुख्य सहायक जैसे कुछ पदों के वेतनमान को तर्कसंगत बनाया जाए, जिनके लिए वर्तमान में कार्यालय से कार्यालय में विभिन्न प्रकार के वेतनमान मौजूद हैं।

XXXXX XXXX XXXXX

XXXXX XXXX XXXXX

3. शिक्षा विभाग में शिक्षक : यह निर्णय लिया गया है कि सभी शिक्षकों को उनकी योग्यता के अनुसार निम्नलिखित दो प्रमुख श्रेणियों में रखा जाना चाहिएः

कैटेगरीः'ए '

बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./बी.एससी.(कृषि)/और बी.टी./ डिप्लोमा शारीरिक शिक्षा/वरिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षण में 9डिप्लोमा।

कैटेगरीः'बी '-

समूह I: बुनियादी प्रशिक्षण प्रशिक्षण के साथ मैट्रिक (जे. टी. सहित)

समूह II: जे. टी. (बी.ए./ मैट्रिक प्लस जे. ए. वी. प्रशिक्षण के साथ सहायक मालकिन सहित।

समूह III: (i) शास्त्री।

(ii) ज्ञानी, प्रभाकर, ड्राइंग मास्टर्स और शिल्पकार प्रमाण पत्र धारक।

(iii) मुंशी फाजिल।

(iv) शारीरिक शिक्षा या कृषि में प्रशिक्षण के साथ एस. वी. सहित एस.टी.

समूह IV: अप्रशिक्षित शिक्षक 3 योग्यताओं के साथ जैसे; बी.कॉम, B.Sc. (कृषि) आदि।

इसके अलावा, विशेष पदों की छोटी श्रेणियां हैं, जैसे कि प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापिका/जिला निरीक्षक/स्कूलों के निरीक्षक, उपरोक्त श्रेणी 'ए' की योग्यता के साथ।इन श्रेणियों के शिक्षकों को, पुरुष और महिला कैडर की परवाह किए बिना, निम्नलिखित वेतनमान रखने चाहिएः

<u>श्रेणी 'ए':</u>

रु. 110-3-190-10-250 वर्तमान में एम.ए.या M.Sc. के लिए उच्च शुरुआत के साथ, सरकार द्वारा निर्धारित पदों का मौजूदा प्रतिशत रु. 110-8-190/10-250 और रु। 250-10-300 क्रमशः 85 प्रतिशत और 15 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहना चाहिए।

<u>श्रेणी 'बी':</u>

निचलाः रु. 60-80/5-100-5 130

बीच मेंः रु. 120-5-175

ऊपरीः रु. 140-10-220

प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि इन समूहों में आने वाले पद निम्नलिखित प्रतिशत में होने चाहिएः

समूहः निचला पैमानाः85 प्रतिशत।

मध्य पैमाना: 155 प्रतिशत।

(ii) समूह के प्रतिशत शिक्षकों को वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर चयन करके सीधे मध्य स्तर पर पदोन्नत किया जाना चाहिए, जबकि बाकी को निम्न स्तर दिया जाना चाहिए।

समूह II:

इसमें मौजूदा अधिकारियों को रुपये के तत्कालीन वर्तमान पैमाने को बनाए रखने की

अनुमति दी जानी चाहिए। 80-5-110/9-190/10-250।

समूह III:

निचला पैमानाः 503 प्रति प्रतिशत

मध्य तराजूः 35 प्रति प्रतिशत

ऊपरी स्केलः 155 प्रतिशत।

(i) जहां तक ऊपरी वेतनमान का सवाल है, इस समूह के 15 प्रतिशत शिक्षक पहले से ही इसका आनंद ले रहे हैं और इस वेतनमान के लिए तत्काल किसी चयन की आवश्यकता नहीं है।वेतन के इस पैमाने में आगे के चयन के लिए, चयन मध्यम स्तर के शिक्षकों तक ही सीमित होना चाहिए, चयन वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर होना चाहिए, चाहे वह शैक्षिक योग्यता हो।

(ii) इस समूह के 35 प्रतिशत शिक्षक वर्तमान में 104-7-140 रुपये के वेतनमान पर हैं जो 120-5-175 रुपये के प्रस्तावित मध्य वेतनमान के अनुरूप है।उनका वेतन बाद के पैमाने में नीचे दिए गए पैराग्राफ 4 में परिभाषित सिद्धांतों के अनुसार तय किया जाना चाहिए।माध्यमिक स्तर पर आगे का चयन योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी शैक्षणिक योग्यता का हो।

(iii) शास्त्री को निचले वेतनमान में 80 रुपये प्रति माह का प्रारंभिक वेतन दिया जाना चाहिए, जबकि प्रभाकर/ज्ञानी/ड्राइंग मास्टर/कला और शिल्प शिक्षकों को निचले वेतनमान में 72/- रुपये प्रति माह का प्रारंभिक वेतन दिया जाना चाहिए।

समूह IV:

इस समूह का गठन करने वाले वर्तमान अधिकारियों को अपने मौजूदा वेतनमान में बने रहना चाहिए।आगे ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

विशेष पदों की समान श्रेणियाँ जैसे स्कूलों के प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्याओं/जिला निरीक्षकों और निरीक्षकों को 250-10-300 रुपये के मौजूदा वेतनमान में बने रहना चाहिए ।यदि शिक्षकों का कोई भी वर्ग इन आदेशों के दायरे में नहीं आता है, तो ऐसे मामलों को अंतिम निर्णय के लिए वित्त विभाग को भेजा जा सकता है।

आपकी वफादारी से,

हस्ताक्षर /-

संत राम वर्मा

सचिव, सरकार,

पंजाब।"

5 सितंबर 1979 को हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित आदेश जारी कियाः–

"हरियाणा के राज्यपाल ने 5 सितंबर, 1979 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन,बी.ए., बी.एड. उत्तीर्ण करने वाले असमायोजित जे.बी.टी. शिक्षकों को मास्टर ग्रेड देने की मंजूरी दी है:

(i) कि इसमें शामिल खर्च को चालू वर्ष के संशोधित स्वीकृत अनुमानों की बचत से पूरा किया जाएगा।

(ii) कि इन शिक्षकों को गुरुओं के संवर्ग में किसी भी वरिष्ठता की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) कि यह भविष्य के लिए एक मिसाल नहीं बनेगा।

(iv) कि शिक्षकों को मास्टर ग्रेड का पुरस्कार उनके लिए व्यक्तिगत होगा।"

5. इसके बाद हरियाणा सरकार ने उच्च वेतनमान के अनुदान के मामले में संशोधित निर्देश जारी किए।उस परिपत्र के प्रासंगिक उद्धरण भी नीचे दिए गए हैंः

" मुझे संयुक्त पंजाब सरकार का हवाला देने का निर्देश दिया गया है। ऊपर उल्लिखित विषय पर वित्त विभाग का परिपत्र संख्या 5056-एफ. आई. आर.-11/57, दिनांक 23 जुलाई, 1957, जिसमें अधीनस्थ सेवाओं (शिक्षकों सहित) की विभिन्न श्रेणियों के वेतनमानों के संशोधन के बारे में विवरण शामिल है, जो वेतन संशोधन समिति द्वारा की गई सिफारिश पर किया गया था, जिसे इस मामले की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था।शिक्षा विभाग में शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में संशोधित वेतनमान विकसित करते समय, उपरोक्त परिपत्र के पैरा 3 में, शिक्षकों की दो व्यापक श्रेणियों, श्रेणी 'ए' और श्रेणी 'बी' का उल्लेख किया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ, उनके मामलों में शैक्षणिक आवश्यकताएँ निर्धारित की गई थीं।सरकार का यह इरादा नहीं था कि उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने पर, निचली कक्षाओं में शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अलग-अलग उच्च श्रेणी में स्वचालित रूप से रखा जाएगा।आम तौर पर, किसी भी विभाग में विभिन्न श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित कर्तव्यों के अलावा प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता को ध्यान में रखते हुए वेतनमान स्वीकृत किए जाते हैं।इसी तरह, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के लिए विषयों और कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण पदों को स्वीकृत किया जाता है, इन पदों के अधिकारियों को पढ़ाना आवश्यक है और इसके लिए विशिष्ट योग्यताएं भर्ती के समय सेवा नियमों में भी निर्धारित की जाती हैं।उदाहरण के लिए, यदि मैट्रिक जे. बी. टी. की योग्यता के साथ बी. ए. बी. एड. उत्तीर्ण उम्मीदवार ने भी मैट्रिक जे. बी. टी. के पद के लिए आवेदन किया है और उसे उच्च योग्यता के आधार पर सेवा में लिया जाता है, तो वह मास्टर/मालकिन के ग्रेड का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन उसे मैट्रिक जे. बी. टी. के लिए शिक्षक का स्वीकृत वेतनमान मिलेगा।डिग्री ofबी.ए. B. Ed. या भाषा शिक्षक यानी O. T., ज्ञानी या प्रभाकर प्राप्त करता है, वह मास्टर यानी B. A. ,B. Ed. या भाषा शिक्षक के पैमाने का दावा नहीं कर सकता है जब तक कि उसे भाषा शिक्षक के पद के खिलाफ मास्टर और भाषा शिक्षक के पद के लिए मास्टर के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके लिए न्यूनतम योग्यता बी. ए. बी. एड. और ओ. टी. है। (ज्ञानी या प्रभाकर) क्रमशः।

चूंकि 23 जुलाई, 1957 के उपर्युक्त पत्र के पैराग्राफ 3 में निहित निर्देशों में सरकार के उपरोक्त इरादों को स्पष्ट रूप से सामने नहीं लाया गया है, इसलिए इसकी अलग-अलग व्याख्याएं हुई हैं, यानी उस श्रेणी में विभाग में उपलब्ध पदों की संख्या के बावजूद योग्यता के आधार पर उच्च वेतनमान का स्वचालित अनुदान, राज्य सरकार का इरादा कभी भी उस निरंतर भारी वित्तीय बोझ को उठाने का नहीं था जो उपरोक्त निर्देशों के दोषपूर्ण प्रारूपण के कारण उस पर विकसित हुआ है।(3 से 5 छोड़े गए)

6. सरकार की मंशा का गलत अर्थ निकालकर पैदा किए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पूरे मामले पर पुनर्विचार किया गया है।पुनर्विचार के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल को यह स्पष्ट करते हुए खुशी हो रही है कि शिक्षा विभाग के शिक्षक पंजाब सरकार के पत्र संख्या 5056-FR-11/57/5600, दिनांक 23 जुलाई, 1957 के पैरा 2 या हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी बाद के पत्र/अधिसूचना के संदर्भ में उच्च वेतनमान में रखे जाने के हकदार नहीं हैं, जो पूर्ववर्ती पैरा में संदर्भित हैं, जो अपनी सेवा के दौरान उच्च योग्यता में सुधार/प्राप्त करने पर पहले से ही निष्क्रिय हो जाते हैं।शिक्षा विभाग में परास्नातकों/शिक्षकों को उनकी संबंधित श्रेणियों के वेतनमान में रखा जाएगा, जिसमें उन्हें स्वीकृत पदों पर नियुक्त किया जाता है और केवल उच्च योग्यता रखने/प्राप्त करने से वे स्वतः ही उच्च वेतनमान का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।" '

7. निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें हरियाणा सहायता प्राप्त स्कूल (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 1971 (संक्षेप में '1971 अधिनियम') और हरियाणा सहायता प्राप्त स्कूल (सेवा की सुरक्षा) द्वारा शासित होती हैं।) नियम, 1974 (संक्षेप में '1974 नियम')।।1974 के नियमों के नियम 2(ज),5,6 और 10 जो याचिकाकर्ता के दावे के निर्णय पर असर डालते हैं, उन्हें नीचे पढ़ा गया हैः

"**2(ज) "सेवा"** से सहायता प्राप्त विद्यालय में सेवा अभिप्रेत है;

5. **प्राधिकारी की नियुक्ति [धारा (4**)]।सेवा में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति प्रबंधन द्वारा की जाएगी और सेवा में अन्य कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति संस्थान के प्रमुख द्वारा प्रबंधन के परामर्श से नियम 7 में दिए गए तरीके से की जाएगी।

6. **योग्यताएँ [धारा (4)]**।किसी भी व्यक्ति को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास इन नियमों के परिशिष्ट ए के कॉलम 3 में निर्दिष्ट योग्यता और अनुभव न हो।

10. **वेतन का पैमाना, महँगाई भत्ता और वेतन का भुगतान [धारा (4)]।**

(1) कर्मचारियों के वेतनमान इन नियमों के परिशिष्ट ए के कॉलम 4 में निर्दिष्ट किए गए होंगे।

(2) कर्मचारियों को देय महँगाई भत्ते की दरें वही होंगी जो समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य हैं।"

7. ऊपर पुनः प्रस्तुत नियमों के विश्लेषण से पता चलता है कि सेवा को सहायता प्राप्त विद्यालय में सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है।सेवा में शिक्षण पदों पर नियुक्ति प्रबंधन द्वारा नियमों से जुड़े परिशिष्ट 'ए' के कॉलम 3 में निर्दिष्ट योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जानी चाहिए।नियम 10 में कहा गया है कि कर्मचारियों के वेतनमान को परिशिष्ट ए के कॉलम 4 में निर्दिष्ट किया जाएगा और कर्मचारियों को देय महँगाई भत्ते की दरें वही होंगी जो सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य हैं। जे.बी.टी शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए, न्यूनतम निर्धारित योग्यता हरियाणा के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या उसके समकक्ष से जे.बी.टी. दो साल के पाठ्यक्रम के साथ मैट्रिक है।अगला उच्च पद मास्टर/मालकिन का है।मास्टर/मालकिन के उद्देश्य के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता बी.ए., बी.टी. or बी.ए. बी.एड or बी.एससी बी.टी. or बीएससी बी.एड.है।

8. उपरोक्त के आलोक में, हमें यह निर्णय लेना होगा कि क्या प्रत्यर्थी संख्या 2 का उच्च योग्यता प्राप्त करने की तारीख से उच्च श्रेणी के अनुदान के लिए याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने का निर्णय, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली किसी भी अवैधता से ग्रस्त है।

9. आक्षेपित आदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता का उच्च ग्रेड देने का दावा निम्नलिखित आधारों पर खारिज कर दिया गया है –

(i) 23 जुलाई, 1957 के परिपत्र में निहित निर्देश सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों पर लागू थे, न कि निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में काम करने वालों पर।

(ii) निजी रूप से प्रबंधित सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा 1974 के नियमों द्वारा शासित होती है और उन नियमों में उच्च योग्यता प्राप्त करने पर उच्च ग्रेड देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(iii) 23 जुलाई, 1957 के परिपत्र के अनुसार, सरकारी स्कूल के शिक्षकों को उच्च ग्रेड दिया जाना था, जिन्होंने सेवा में शामिल होने के बाद उच्च योग्यता प्राप्त की थी, जबकि याचिकाकर्ता ने सेवा में शामिल होने से पहले बी.ए. B.Ed.. उत्तीर्ण किया

था।

10. हमारी राय में, याचिकाकर्ता की प्रार्थना को अस्वीकार करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिए गए कारणों को न तो मनमाना और न ही बाहरी कहा जा सकता है और न ही यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के साथ उच्च वेतनमान के अनुदान के मामले में भेदभाव किया गया है।23 जुलाई, 1957 का परिपत्र तब अस्तित्व में था जब हरियाणा विधानमंडल ने 1971 का अधिनियम लागू किया था और राज्य सरकार ने 1974 के नियम बनाए थे।यदि विधानमंडल और उसके प्रतिनिधि निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को उच्च वेतनमान/ग्रेड का लाभ प्रदान करना चाहते थे, जिनके पास भर्ती के समय पद के लिए निर्धारित योग्यता से अधिक योग्यता थी या जिन्होंने सेवा में शामिल होने के बाद ऐसी योग्यता प्राप्त की थी, तो उन्होंने 23 जुलाई, 1957 के परिपत्र को 1971 के अधिनियम या 1974 के नियमों में शामिल किया होगा।हालांकि, तथ्य यह है कि न तो 1971 के अधिनियम और न ही 1974 के नियमों में निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को उच्च वेतनमान देने का प्रावधान है क्योंकि उनके पास भर्ती के समय उच्च योग्यता थी या उन्होंने सेवा में शामिल होने के बाद ऐसी योग्यता प्राप्त की थी।इसलिए, हम श्री अग्रवाल से सहमत होने में असमर्थ हैं कि याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिए गए कारण मनमाने हैं और उनके द्वारा पारित आदेश उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को उचित ठहराते हुए कानून की त्रुटि से दूषित है।

11. इस मामले की दूसरे कोण से जांच की जानी चाहिए।इंटरमीडिएट या बी.ए. की योग्यता रखने वाला व्यक्ति जे.बी.टी शिक्षक के रूप में भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है जिसके लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक और दो साल का जे.बी.टी पाठ्यक्रम है। अगर वह अपनी इच्छा के अनुसार ऐसा करता है, तो उसे मैट्रिक और आवश्यक प्रशिक्षण के योग्यता वाले जे.बी.टीशिक्षक के पद के लिए निर्धारित पे स्केल में वेतन दिया जाने का हक पैदा होता है और उसे रोजगार के दौरान उच्च योग्यता प्राप्त करते समय भी जे.बी.टीशिक्षकों की कैडर के सदस्य रहने का अधिकार होता है, चाहे उसे नौकरी के कार्य काल में उच्च योग्यता प्राप्त हो।उच्च योग्यता के अधिग्रहण के साथ उसके कैडर में कोई बदलाव नहीं होता है और वह किसी अन्य सेवा का सदस्य नहीं बनता है।इसलिए, एक व्यक्ति जिसे उच्च योग्यता के साथ जे.बी.टीशिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, वह स्वचालित रूप से उच्च पद के लिए निर्धारित वेतनमान में वेतन पाने का हकदार नहीं हो जाता है।अगर हम इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख से उच्च वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित करने के याचिकाकर्ता के दावे को स्वीकार करते हैं, तो एक बेहद विसंगत स्थिति पैदा हो जाएगी।याचिकाकर्ता और समान रूप से स्थित व्यक्तियों के दावे को स्वीकार करना उस स्थिति की न्यायिक मान्यता के बराबर होगा जिसमें किसी व्यक्ति को जे.बी.टी.शिक्षकों की भर्ती के लिए एक विज्ञापन के

अनुसार जे.बी.टी.शिक्षक के रूप में भर्ती किया जाता है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम योग्यता और उस पद के लिए निर्धारित वेतनमान का संकेत देते हुए जारी किया गया हो सकता है, लेकिन उसे उच्च पद के लिए निर्धारित उच्च वेतनमान में वेतन का भुगतान करना होगा।

दूसरे शब्दों में, प्रबंधन को जे.बी.टीशिक्षक का वेतन किसी उच्च पद के वेतनमान में तय करना होगा, जिसका न तो विज्ञापन किया गया हो और न ही जिसके विरुद्ध नियुक्ति की गई हो।इसका यह भी अर्थ होगा कि हालांकि एक जे.बी.टीशिक्षक को एक विशेष स्तर की कक्षाओं को पढ़ाने की आवश्यकता होगी, लेकिन उसे वेतनमान के मामले में भाषा शिक्षक, मास्टर/मालकिन/व्याख्याता या हेडमास्टर के बराबर रखा जाएगा, भले ही बाद की श्रेणियों के शिक्षकों को उच्च कक्षाओं को पढ़ाना आवश्यक हो।याचिकाकर्ता के दावे की स्वीकृति के कारण होने वाली अन्य विसंगति यह होगी कि हालांकि उन्होंने जे.बी.टी.शिक्षक के पद का कार्यभार संभाला था, लेकिन उन्हें उन उच्च पदों का वेतन देना होगा जिनके खिलाफ उन्होंने काम नहीं किया था।यह एक कल्पना की शुरुआत करने के बराबर होगा, अर्थात्, एक जे.बी.टीशिक्षक उच्च पद के संवर्ग का एक काल्पनिक सदस्य बन जाता है और उसे एक उच्च पद पर नियुक्त किया गया माना जाएगा जिसके लिए उसने कभी आवेदन नहीं किया था।अतः हम इस तरह के दावे को स्वीकार करने के लिए कोई तर्क या औचित्य नहीं पाते हैं।

12. हम यह भी नहीं नजरअंदाज कर सकते कि उच्च पे स्केल में वेतन की दिशा में निर्देश देकर, अदालत न किसी कैडर शक्ति में जोड़ सकती है और न ही आदिक नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले विधिक नियमों में संशोधन कर सकती है, और न ही अदालत संविदान के उपधारित अनुच्छेद 309 के प्रयोग के अंतर्गत राज्यपाल की द्वारा बनाए जाने वाले वेतन नियमों में संशोधन कर सकती है।यह कार्यपालिका के लिए निर्धारित क्षेत्र में अनुचित अतिक्रमण के बराबर होगा। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत राज्य के राज्यपाल में निहित शक्ति का अनुचित हनन होगा।

13. जो विचार हमने यहां ऊपर व्यक्त किया है वह **कंवलजीत कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य**[5] में निर्धारित कानून के अनुरूप है, उस मामले में, एक डिवीजन बेंच जिसमें हम में से एक सदस्य था, ने गहराई से जांच की। भर्ती नियमों, वेतन नियमों और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के आलोक में मामले की सुनवाई की और याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया। उस निर्णय में की गई कुछ टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:-

(1) 19. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 19 फरवरी, 1979 से सरकार ने सेवारत शिक्षकों

[5] 1996 (1) RSJ 325

द्वारा उच्च योग्यता प्राप्त करने की तारीख से उच्च वेतनमान देने की अपनी नीति को सकारात्मक रूप से बदल दिया और इसलिए, जिन शिक्षकों को 19 फरवरी, 1979 के बाद उच्च योग्यता के साथ निचले पदों पर नियुक्त किया गया था और जो पहले से ही सेवारत थे और 19 फरवरी, 1979 के बाद उच्च योग्यता प्राप्त कर चुके थे, वे उच्च पैमाने के स्वचालित अनुदान के हकदार नहीं थे।हमारी राय में, वजीर सिंह के मामले (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय के उनके अध्यक्षों द्वारा चमन लाई के मामले (ऊपर) में उनके पहले के फैसले के दायरे को समझाने के बाद, यह माना जाना चाहिए कि 19 फरवरी, 1979 के परिपत्र ने वेतनमान को योग्यताओं के साथ जोड़ने की नीति को समाप्त कर दिया है और इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि बड़ी संख्या में मामलों में इस अदालत ने उच्च योग्यता प्राप्त करने की तारीख से शिक्षकों को उच्च वेतनमान का लाभ दिया है, वजीर सिंह के मामले (ऊपर) में निर्धारित कानून की अनदेखी करते हुए आदेश पत्र जारी करना संभव नहीं है।हमारी यह भी राय है कि 1986 के C.W.P. संख्या 11196 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण 30 अक्टूबर, 1993 को तय किया गया कि 19 फरवरी, 1979 के परिपत्र के आधार पर शिक्षकों को उच्च वेतनमान से इनकार करने से एक विसंगतिपूर्ण स्थिति आएगी जो सही कानून का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

(2) मामले का एक और पहलू है जिसकी गहन जांच की आवश्यकता है।भर्ती नियमों के तहत, सेवा को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक विशेष संख्या में पद शामिल हैं। ऐसे पदों को नियमों में निर्धारित भर्ती के विभिन्न तरीकों से भरने की आवश्यकता है और केवल उन व्यक्तियों को भर्ती के लिए प्रतियोगिता करने का अधिकार होता है जिनके पास आवश्यक योग्यता हो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किए गए वेतन नियम विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए वेतनमान निर्धारित करते हैं।किसी विशेष पद पर भर्ती होने वाले व्यक्ति को उस विशेष पद के लिए नियमों के तहत निर्धारित वेतनमान मिलता है।एक नियुक्ति प्राधिकरण केवल पदों की विशिष्ट संख्या के विरुद्ध भर्ती कर सकता है। यह कैडर की शक्ति के बाहर भर्ती नहीं कर सकता है। बेशक, एक मामले में, एक पूर्व-संवर्ग पद भी भरा जा सकता है और ऐसे पूर्व-संवर्ग पद के लिए निर्धारित एक विशेष वेतनमान उस पद के पदधारी को दिया जा सकता है।हालांकि, निचले पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को उच्च वेतनमान प्रदान करके, न्यायालय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संवर्ग की संख्या नहीं बढ़ा सकता है या पूर्व संवर्ग के पदों का निर्माण नहीं कर सकता है क्योंकि इस तरह के आदेश से भर्ती नियमों के साथ-साथ वेतन नियमों में भी संशोधन होगा।इसका

अप्रत्यक्ष रूप से मतलब होगा कि नए संवर्ग का निर्माण किया जाए जिसमें कम पदों पर रहते हुए अधिक वेतन पाने वाले व्यक्ति शामिल हों।19 फरवरी, 1979 के परिपत्र की तर्कसंगत और सार्थक व्याख्या करके इस बेतुकी स्थिति से बचा जाना चाहिए, जैसा कि हमने पिछले पैराग्राफ में किया है।

(3) समापन से पहले हम इस तथ्य पर ध्यान दे सकते हैं कि विभागीय चयन समिति द्वारा चयन के बाद याचिकाकर्ता को JBT शिक्षक के रूप में रुपये के वेतनमान में नियुक्त किया गया था 480-1 I5-600/20-700/25-850 30-880 रुपये के मूल वेतन के साथ। 480.00 और पंजाब सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भत्ते।उच्च वेतनमान के लिए याचिकाकर्ता के दावे को स्वीकार करने का मतलब उसके नियुक्ति आदेश में संशोधन करना होगा, जिसका अर्थ यह होगा कि हालांकि याचिकाकर्ता को भौतिक रूप से JBT शिक्षक के रूप में भर्ती किया गया है, लेकिन वैचारिक रूप से उसे मास्टर के पद पर नियुक्त किया गया माना जाना चाहिए क्योंकि वेतनमान रु 1600-2925 मास्टर के पद के लिए निर्धारित है।यह मास्टर कैडर में उपलब्ध खाली पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को नियुक्त करने की शक्ति पर एक अनुचित अतिक्रमण होगा और इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए कोई कानूनी या संवैधानिक आधार प्रतीत नहीं होता है।"

14. अब हम इस विषय पर कुछ अन्य निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं जिनमें श्री अग्रवाल द्वारा भरोसा किया गया निर्णय भी शामिल है। **पंजाब राज्य बनाम कृपाल सिंह भाटिया** [6]मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने दो मुद्दों पर विचार किया। इनमें से पहला मुद्दा शिक्षकों के उच्च ग्रेड दिए जाने के दावे से संबंधित है और दूसरा विषय संयोजन के बारे में किसी भी सीमा के बिना 25 प्रतिशत कोटा की सीमा तक परास्नातक के पदों पर पदोन्नति के लिए शिक्षकों के दावे से संबंधित है। है। लॉर्डशिप्स ने नोट किया कि प्रतिवादीगण (उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता) पूर्व पेप्सू राज्य में शिक्षक थे और वे उक्त राज्य के गठन पर पंजाब राज्य के सेवक बन गए। लॉर्डशिप्स ने 23 जुलाई, 1957 के परिपत्र का हवाला दिया और माना कि पंजाब सरकार के सचिव द्वारा जारी 23 जुलाई, 1957 के परिपत्र का संदर्भ देने में उच्च न्यायालय सही था, जिसमें कहा गया था कि उच्च योग्यता रखने वाले शिक्षकों को अब से श्रेणी 'ए' में रखा गया है और वेतनमान रु. 110-250 या तो उस तारीख से प्रभावी होगा जब शिक्षक बैचलर ऑफ टीचिंग या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे या 1 मई, 1957, जो भी बाद में हो।

[6] 1975 (2) एसएलआर 621

15. **चमन लाल बनाम हरियाणा राज्य**[7] (7) में, सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने हरियाणा सरकार के वर्ष 1968 के आदेशों और 5 सितंबर 1979 के परिपत्र की व्याख्या की और निम्नानुसार देखा: -–

> " यह सिद्धांत कि वेतन को योग्यता से जोड़ा जाना चाहिए, इसे पंजाब सरकार द्वारा 1957 में स्वीकार किया गया था, और जब किरपाल सिंह भाटिया के मामले को उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में बहस किया गया, तो उसमें यह सूचना भी नहीं थी कि 1968 के आदेश में इस सिद्धांत से हट जाया गया है।"
>
> लॉर्डशिप ने आगे इस प्रकार देखा ;
>
> "वास्तव में 1968 के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सरकार ने वेतनमान के संबंध में कोठारी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि वेतन के संबंध में कोठारी आयोग की रिपोर्ट की मुख्य विशेषता वेतन को योग्यता से जोड़ना था।जाहिरा तौर पर यही कारण था कि कृपाल सिंह भाटिया के मामले में ऐसा कोई तर्क नहीं दिया गया था।इसके बाद भी जब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा कई रिट याचिकाओं का निपटारा किया गया और जब सरकार ने परिणामी आदेश जारी किए, तो यह कभी नहीं कहा गया कि 1968 का आदेश योग्यता से जुड़े वेतन के सिद्धांत से वापस लिया गया था।यदि ऐसा पढ़ा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि सरकार का कभी भी उस सिद्धांत से पीछे हटने का इरादा नहीं था जो शिक्षक प्राप्त करते हैं।
>
> B.T. या B.Ed. उस योग्यता को प्राप्त करने की संबंधित तिथियों से उच्च श्रेणी के हकदार होंगे।1979 का आदेश वास्तव में अनावश्यक था। बी.ए., B.Ed. पास करने वाले असंबद्ध जे.बी.टी.शिक्षकों को मास्टर ग्रेड देने के लिए किसी विशेष मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। यह पहले से ही वह स्थिति थी जो 1957 और 1958 (1968 बी. एड.) के आदेशों और न्यायालय के कई निर्णयों के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई थी।हमें नहीं लगता कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपील के तहत दिए गए फैसले में नियमों से हटना उचित समझा।नियम अच्छी तरह से स्थापित किया गया था और लगातार लागू किया गया था।न ही सरकार के लिए यह खुला था कि वह कुछ मामलों में इस सिद्धांत पर कार्य करे और अन्य मामलों में इससे अलग हो।"

16. उस मामले में, शीर्ष न्यायालय उन शिक्षकों द्वारा किए गए दावे पर विचार कर

[7] AIR 1987 एससी 1621

रहा था जिन्होंने बी.ए. की योग्यता हासिल की थी। सेवा के दौरान और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का मुख्य जोर योग्यता को उच्च वेतनमान के साथ जोड़ने की नीति को जारी रखने के सरकार के अपने आचरण पर आधारित था।

17. **<u>पंजाब उच्च अर्हता प्राप्त शिक्षक संघ और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य,</u>**[8] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जेएसटी/जेएवी. प्रशिक्षण के साथ स्नातक शिक्षकों और ऐसे प्रशिक्षण के साथ या उसके बिना स्नातक शिक्षकों के बीच भेदभाव अस्वीकार्य है क्योंकि यह बिना किसी तर्कसंगत आधार के एक वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाने का प्रयास करता है। लॉर्डशिप्स ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने या सुधार करने पर उच्च वेतन के हकदार थे।ये टिप्पणियां करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कृपाल सिंह भाटिया के मामले और चमन लाल के मामले (उपरोक्त) में पहले के दो फैसलों पर भरोसा किया।

18. **<u>नसीब कौर और, अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य</u>**[9] मामले में, इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने शिक्षकों के इस दावे को बरकरार रखा कि उन्हें उच्च योग्यता के आधार पर उच्च वेतन दिया जाए क्योंकि शिक्षकों ने ऐसी योग्यता 1 नवंबर, 1979 से पहले प्राप्त कर ली थी।

19. **<u>रतन सिंह बनाम हरियाणा राज्य</u>**[10] में, न्यायालय ने उत्तरदाताओं की ओर से उठाई गई देरी और देरी की आपत्ति को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को उनकी उच्च योग्यता प्राप्त करने की तारीख से उच्च वेतनमान दिया जाए।

20. **गुरजीत कौर बनाम: हरियाणा राज्य और अन्य (ऊपर) में**, न्यायालय ने रतन सिंह के मामले (सुप्रा) के अनुपात को लागू किया और उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को उसके शामिल होने की तारीख से उच्च वेतनमान का लाभ देने का निर्देश दिया।

21. **<u>चंपा देवी बनाम हरियाणा राज्य</u> (उपरोक्त)** मामले में एक अन्य डिवीजन बेंच ने कहा कि निजी तौर पर प्रबंधित सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत शिक्षक सरकारी स्कूलों में काम करने वाले अपने समकक्षों के बराबर अतिरिक्त वेतन वृद्धि और अंतरिम राहत के हकदार हैं।

[8] 1988 (1)एसएलआर768

[9] 1988 (4)एसएलआर801

[10] 1995 (1)एसएलआर101

22. **<u>हरियाणा राज्य बनाम राय चंद जैन,</u> (उपरोक्त)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिन शिक्षकों ने B.T या B.Ed. की डिग्री प्राप्त की है, वे उस योग्यता को प्राप्त करने की संबंधित तिथियों से उच्च ग्रेड के हकदार हैं, न कि पहले की तारीख से।

23. **<u>हरियाणा राज्य बनाम रवि बाला</u>**[11] (11) उनके आधिपत्य ने **<u>वज़ीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य</u>**[12] (12) में पहले के फैसले पर भरोसा किया और माना कि जिन शिक्षकों ने 9 मार्च, 1990 को या उसके बाद B.T./B.Ed की योग्यता हासिल की है, वे स्वचालित रूप से उच्च वेतनमान के हकदार नहीं हैं।

24. उपरोक्त निर्णयों को सावधानीपूर्वक पढ़ना कि न तो उच्चतम न्यायालय और न ही इस न्यायालय ने संबंधित भर्ती नियमों और वेतन नियमों के संदर्भ में उच्च योग्यता प्राप्त करने की तारीख से विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों को उच्च वेतनमान देने से संबंधित मुद्दे की जांच की थी।बल्कि, सभी मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय और यह न्यायालय इस धारणा पर आगे बढ़े कि 23 जुलाई, 1957 के परिपत्र में निहित निर्देश भर्ती नियमों और वेतन नियमों की घोषणा के बाद भी लागू थे।इसलिए, हमारा विचार है कि इन निर्णयों को कानून के एक प्रस्ताव के रूप में नहीं माना जा सकता है कि एक शिक्षक द्वारा उच्च योग्यता के अधिग्रहण की तारीख से उच्च वेतनमान का लाभ लिया जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि उसे एक विशेष वेतनमान वाले विशेष पद पर भर्ती किया गया था और एक अलग संवर्ग का हिस्सा बनने वाले अलग पद के लिए उच्च वेतनमान निर्धारित किया गया है।इन निर्णयों को कानून के प्रस्ताव के रूप में भी नहीं पढ़ा जा सकता है कि एक शिक्षक उच्च श्रेणी के लाभ का दावा कर सकता है, भले ही वह उस पद पर नियुक्त होने का हकदार न हो जिसके लिए उच्च वेतनमान निर्धारित किया गया है।

<u>तेलू राम बनाम भूमि अधिग्रहण कलेक्टर और अन्य (न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार,</u>)

25. हमारी राय में, याचिकाकर्ता का मामला पूरी तरह से कंवलजीत कौर के मामले (ऊपर) के अनुपात में आता है और इसलिए, उनके द्वारा की गई प्रार्थना के संदर्भ में राहत

[11] 1997 (1) ए.आई.आर 267

[12] 1995 Supp. (3) ए.आई.आर 697

नहीं दी जा सकती है, क्योंकि 1974 के नियम निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों के शिक्षकों को उच्च योग्यता प्राप्त करने पर उच्च वेतनमान देने का प्रावधान नहीं करते हैं।

26. ऊपर बताए गए कारणों से रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

आर.एन.आर

न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार के समक्ष

तेलू राम -याचिकाकर्ता

बनाम

भूमि अधिग्रहण कलेक्टर और अन्य -उत्तरदाता

2000 का सी.आर. नंबर 1529

4 जनवरी, 2001

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894- धारा 18 और 31-भूमि का अधिग्रहण-बिना विरोध के मुआवजे की प्रदत्त राशि की स्वीकृति-लगभग दो साल के बाद, वृद्धि के लिए धारा 18 के तहत आवेदन करने वाले दावेदार-धारा 18 (2) के तहत याचिका दायर करने के लिए छह सप्ताह की सीमा प्रदान करती है-कलेक्टर के पास देरी को माफ करने या निर्धारित अवधि की सीमा से परे आवेदन पर विचार करने की कोई शक्ति नहीं है-कलेक्टर ने आवेदन को समय द्वारा वर्जित के रूप में सही ढंग से खारिज कर दिया-बिना विरोध या वृद्धि का दावा करने के अपने अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना पुरस्कृत मुआवजे को स्वीकार करने के बाद, दावेदार को अधिनियम की धारा 18 के तहत वृद्धि का दावा करने से भी वंचित कर दिया जाता है।

(जीत सिंह बनाम भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, पीडब्ल्यूडी और बी एंड आर शाखा, हिसार, 1991 (2) हालिया राजस्व रिपोर्ट 270 और धरम पाल बनाम कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण शहरी विकास और अन्य, 1987 आर. एल. आर. 249 = 1987 हालिया राजस्व रिपोर्ट 356, अवैध या गलत ठहराया गया)

माना गया कि 1894 अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (2) के दूसरे प्रावधान के तहत विधानमंडल ने अपने विवेक से अधिनियम की धारा 18 के तहत उच्च मुआवजे का दावा करने वाले आवेदक पर स्पष्ट रोक लगा दी है, उसने राशि प्राप्त की है या कोई विरोध के अलावा अन्यथा उसका हिस्सा। यह पुरस्कार 19 मई, 1995 को दिया गया था। धारा 18 के तहत आवेदन किया गया था

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धांत रॉयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा